Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/3618/2004/गंगानगर

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर जिला गंगानगर

अपीलाण्ट्

बनाम

1.कालासिंह वल्द हरनामसिंह(मृतक) के वारिसानः–

1 सरजीतकौर बेवा कालासिंह

2 जगजीतसिंह पुत्र कालासिंह

3 सुखदीपकौर बेवा राजेन्द्रसिंह (पुत्र वधु) कालासिंह

4 गुरप्रेतसिंह पुत्र कालासिंह

5 गुरूदेवकोर पत्नि विक्रमसिंह

6. बिन्दरकौर पुत्री विक्रमसिह

7. रामसिंह पुत्र विक्रमसिंह

8. वीरसिंह पुत्र विक्रमसिंह

समस्त जाति जटसिख निवासी 2 जी.बी. दौलताबाद तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ

श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थित

श्री सुनील गर्ग, अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मनीष पान्डे, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 1.5.18

यह अपील राजस्थान अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के विरूद्ध के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-1-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राधिकृत अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 135/71 का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अध्याय 3 ख के अन्तर्गत दिनांक 31-1-79 को किया जाकर कार्यवाही समाप्त कर ली गई जिस पर प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाकर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय सीलिंग नियमों के विपरीत पाते हुए पत्रावली दिनांक 4-11-86 राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत पुनः कार्यवाही हेतु कलेक्टर, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दिया । जिस पर अतिरिक्त कलेक्टर, गंगानगर ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को नोटिस दिया गया एवं पुनः सुनवाई की गई एवं साक्ष्य ली जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । राज्य सरकार के रिओपन आदेश के मुताबिक कालासिंह के पास 80 बीघा भूमि थी और अप्रार्थी के परिवार में 4 सदस्य थे और वह 46.08 बीघा भूमि धारण कर सकता था और शेष अधिग्रहण योग्य थी और कथन किया गया कि अधिक भूमि अधिग्रहण राजहित में की जावे । जिसमें उन्होने अपने आदेश दिनांक 30-5-94 में कालासिंह के पास 22.02 बीघा भूमि अधिक मानते हुए इसके अधिग्रहण के आदेश पारित किए जिसके विरूद्ध कालासिंह के वारिसों द्वारा एक अपील राजस्व मण्डल में पेश की गई जो राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिनांक 20-12-94 को स्वीकार करते हुए मामला अतिरिक्त कलेक्टर, गंगानगर को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया जिस पर उन्होंने पुनः सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 24-1-2004 के द्वारा कालासिह के धारण में सीलिंग सीमा से 22.02 बीघा भूमि अधिक पाते हुए अधिग्रहण किए जाने का आदेश कर दिया । उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा यह पाये जाने पर कि कालासिंह के द्वारा अपनी भूमि का विक्रय कर दिया है जो उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी एवं खरीददारों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की थी एवं खरीददारों के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी जबकि कर्मसिह के पास 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिक पाकर अधिग्रहण के आदेश कर दिए जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील किए जाने पर उसके पास केवल 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिक होना माना गया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा दिए गए रिओपन आदेश की पालना में जांच नहीं करके केवल कयासों के आधार पर निर्णय पारित किया गया जबकि उन्हें पूर्ण जांच करनी चाहिए थी । तहसीलदार विजयनगर की रिपोर्ट के अनुसार जो 11.1.90 को दी थी उसमें कालासिंह के पास चक 2 जीबीबी में और है । इस प्रकार 68 बीघा 10 बिस्वा रकबा होना बताया है। इसी रिपोर्ट में 2जीबीए में 80 बीघा नहरी मुश्तरका खाता होना बताया है और जमाबन्दी के अवलोकन से उसके हिस्से में 13.06 बीघा नहरी भूमि और आती है जो उसकी भूमि में शामिल करनी चाहिए । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस भूमि को सम्मिलित नहीं कर अपना आदेश पारित किया है यदि उसके अनुसार नहरी भूमि 13 बीघा 6 बिस्वा को और सम्मिलित किया जाता है तो उसके पास 81.16 बीघा भूमि होती है । जिससे वह एक यूनिट अर्थात 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि और धारण कर सकता है तथा शेष 35.08 बीघा अधिग्रहण योग्य होती है किन्तु उन्होने कालसिंह की मुश्तरका खातेदारी की 13.06 बीघा को शामिल नहीं कर अपना आदेश पारित किया है ।

प्रार्थीगण गुरूदेवकौर,बिन्दरगौर, वीरसिंह , रामसिंह आदि के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता व आदेश 41 नियम 20 व सपठित धारा 151 प्रस्तुत किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उक्त अपील में रेस्पोडण्ट के रूप में पक्षकार बनाये जाने

का आदेश दिया जावे जिस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अपील में अंतिम बहस सुनी गई ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी की कम भूमि का अधिग्रहण किया गया है जब कि उसके पास अधिक भूमि थी जिससे अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट का कथन है कि पूर्व में इस आदेश का निर्णय दिनांक 22-8-17 को किया जा चुका है जिस आदेश का निर्णय हो चुका हो उसको पुनः नहीं खोला जा सकता है । अतः राज्य सरकार को निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-8-17 आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7. राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-8-17 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस निर्णयमें अपील/सीलिंग/759/2004/गंगानगर उनवानी जगजीतसिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं प्रकरण अपील/सीलिंग /1110/2004/गंगानगर उनवानी विक्रमसिंह बनाम राजस्थान सरकार में यह आदेश पारित किया गया है कि प्राधिकृत अधिकारी राजस्व मण्डल द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 135/1971 का निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 31-1-79 को किया जाकर कार्यवाही समाप्त किए जाने के आदेश दिए गए तत्पश्चात पत्रावली का राज्य सरकार के स्तर पर परीक्षण किया गया एवं मामला पुनः खोले जाने योग्य मानते हुए अपने आदेश दिनांक 4-11-86 से राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के प्रावधानों के अनुसार पुनः खोला जाकर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । राजस्थान कृषि भूमि

पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम आदेश की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति या 30 जून 1979 की समाप्ति की बाद जो भी बाद में हो रिओपन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा 7 वर्ष 10 माह प्श्चात रिओपन आदेश जारी किया गया है रीओपन आदेश उक्त प्रावधित प्रावधान में उपलब्ध समयावधि के पश्चात जारी होने से अवैध है । अतःअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 759/2004 स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निण्रय दिनांक 24-1-2004 निरस्त कर मूल अपील के स्वीकार होने से केतागणों की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1110/2004 को तदनुसार निर्णित की गई।

दिनांक 24-1-2004 के आदेश में यह आदेशित किया गया है कि अप्रार्थी के पास 68 बीघा 10 बिस्वा भूमि है तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के परिवार में दिनांक 1-4-66 को 4 सदस्य थे जिनके आधार पर 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण कर सकता है शेष 22 बीघा 2 बिस्वा अधिग्रहण योग्य है जिसे राज्य हित में अधिग्रहित करने के आदेश दिए गए तथा दिनांक 24-4-04 के आदेश की अपील राजस्व मण्डल में किए जाने पर अपने आदेश दिनांक 22-8-17 में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-1-2004 निरस्त कर दिया तो जिस आदेश के खिलाफ पूर्व मे निर्णय कर दिया है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील करना चाहे तो वह अपील करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है ।

8. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य